

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA



एस.जी.-डी.एल.-सा.-12122020-223670
SG-DL-W-12122020-223670

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 4]	दिल्ली, दिसम्बर 4 — दिसम्बर 10, 2020, बृहस्पतिवार /अग्रहायण 13— अग्रहायण 19, 1942
No. 4]	DELHI, DECEMBER 4 —DECEMBER 10, 2020, THURSDAY/AGRAHAYANA 13— AGRAHAYANA 19, 1942

भाग— II-II
PART—II-II

सर्किट, सिविल और दण्ड न्यायालय द्वारा जारी की गई सूचनाएं
Notices of the Circuit, Civil and Criminal Courts

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड
(दिल्ली-रजिस्ट्री-कम-बेंच)

जन साधारण सूचना

दिल्ली, 23 नवम्बर, 2020

23.11.2020 को आदेश पारित करने के बाद, यह सभी संबंधित के सूचना के लिए है कि कॉपीराइट नियम, 2013 के नियम 31 और आईपीआरएस द्वारा दायर इस संबंध में आवेदन के मद्देनजर, आईपीएबी आईपीआरएस के बुनियादी कृतियों, यानी एक साउंड रिकॉर्डिंग में साहित्यिक और संगीतात्मक कृतियाँ और एफएम रेडियो स्टेशनों में इसके उपयोग की रॉयल्टी तय करने के अनुरोध पर विचार करेगा, जो मामलों के विषय-वस्तु हैं।

यह जन साधारण सूचना सभी इच्छुक व्यक्तियों को IPAB के कॉपीराइट नियम, 2013 के नियम 31 के अर्थ के भीतर रॉयल्टी तय करने के इरादे के बारे में सूचित करने के लिए जारी की जाती है और इसके बुनियादी कृतियों यानी एक साउंड

रिकॉर्डिंग में साहित्यिक और संगीतात्मक कृतियाँ और एफएम रेडियो स्टेशनों में इसके उपयोग में रॉयल्टी तय करने के मामले पर विचार करने के उद्देश्य से सभी इच्छुक व्यक्तियों के सुझाव इस संबंध में आमंत्रित हैं, जो मामलों के विषय-वस्तु हैं।

कॉपीराइट नियम, 2013 के नियम 31 के उप-नियम 3 के मुताबिक, यह सूचित किया जाता है कि बुनियादी कृतियों यानी साउंड रिकॉर्डिंग में संगीतात्मक और साहित्यिक कृतियाँ और एफएम रेडियो स्टेशनों में उनके उपयोग में कोई भी कॉपीराइट का मालिक 30 दिनों के भीतर अपने सुझाव दे सकता है और 27.12.2020 को प्रस्तुत भी कर सकता है। सुझावों के प्रयोजन के लिए आगे कोई समय नहीं दिया जाएगा।

हस्ता / -	हस्ता / -	हस्ता / -
(माननीय श्री. एन. सूर्या सेंथिल)	(माननीय श्री एसपी. चोकलिंगम)	(माननीय श्री जस्टिस मनमोहन सिंह)
तकनीकी सदस्य (सीआर)	तकनीकी सदस्य (सीआर)	अध्यक्ष

एन. के. रमेश, उप पंजीयक
[विज्ञापन पीबी II/II- साप्ताहिक /02/2020]

INTELLECTUAL PROPERTY APPELLATE BOARD

(Delhi Registry-Cum-Bench)

PUBLIC NOTICE

Delhi, the 23rd November, 2020

Having passed the order on 23.11.2020, this is for information for all concerned that in view of Rule 31 of the Copyright Rules, 2013 and upon on application in this regard filed by IPRS, IPAB is to consider the request of IPRS to fix the royalty in the underlying works, viz., literary and musical work in a sound recording and utilization thereof in FM Radio Stations which are the subject matter of the cases.

The public notice is issued to inform all those interested persons of the IPAB's intention to fix royalty within the meaning of Rule 31 of the Copyright Rules, 2013 and the suggestion of all the interested persons are invited in this regard for the purpose of considering the case of fixing the royalty in respect of the underlying works, viz., literary and musical works in sound recording and utilization thereof in FM Radio Station which are the subject matter of the Cases.

In accordance with sub-rule 3 of Rule 31 of Copyright Rules, 2013, it is stated that any owner of copyright in underlying musical and literary works in sound recording and utilization thereof in FM Radio stations may give their suggestions within 30 days and also make their submission on 27.12.2020. No further time will be granted for the purpose of suggestion.

-Sd/	-Sd/-	-Sd/-
(Hon'ble Sh. N. Surya Senthil)	(Hon'ble Sh. SP Chockalingam)	(Hon'ble Sh. Justice Manmohan Singh)
Technical Member (CR)	Technical Member (CR)	Chairman

N.K. RAMESH, Dy. Registrar
[ADVT.-Pb.II/II-Weekly/02/2020]